

ई-मेल

पत्र संख्या: 1/अनु0-1004/2024-सा0 प्र0-3449 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिवसभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक: 28-02-2024

विषय:- छुट्टी, मुख्यालय छोड़ने आदि का आवेदन विभाग/ नियंत्री प्राधिकार के माध्यम से समर्पित करने एवं इस निमित्त पूर्व निर्गत परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में ।

प्रसंग:- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-820 दिनांक 20.06.2012, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-336 दिनांक 07.01.2015, पत्रांक-9648 दिनांक 12.07.2016, पत्रांक-15395 दिनांक 04.12.2017 एवं पत्रांक-7674 दिनांक 20.05.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि छुट्टी, मुख्यालय छोड़ने के निमित्त सरकार स्तर से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस संबंध में विगत कुछ वर्षों में निर्गत परिपत्र(छाया प्रतियां संलग्न) निम्नवत् है:-

विभाग का नाम/परिपत्र संख्या एवं दिनांक	दिशा-निर्देश से संबंधित विषय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ज्ञापांक-मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-18/2011-820 दिनांक 20.06.2012	विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को अवकाश की स्वीकृति
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1/अनु0-1041/2014-सा0प्र0-336 दिनांक 07.01.2015	जिला पदाधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1/सी0-1015/2016-सा0प्र0-9648 दिनांक 12.07.2016	भा0प्र0से0 पदाधिकारियों के आकस्मिक/प्रतिबंधित अवकाश आदि का संधारण
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1/अनु0-1041/2014-सा0प्र0-15395 दिनांक 04.12.2017	प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा जिला पदाधिकारियों को प्रदान किए जाने वाली छुट्टियों का ससमय संसूचन

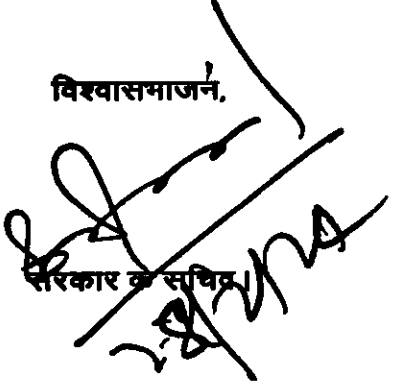
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1/वि0-1012/2022-सा0प्र0-7674 दिनांक 20.05.2022	जिला पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले पत्र-व्यवहारों में संबंधित जिला पदाधिकारी के नाम तथा राज्य से बाहर की यात्रा के आवेदनों में गंतव्य स्थल का स्पष्ट अंकन
---	--

2. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भा0प्र0से0 पदाधिकारियों द्वारा एल0टी0सी0 सुविधा के उपभोग के आवेदन सीधे सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किए जाते हैं। साथ ही, विहित प्रपत्र में समर्पित किए जाने वाले उपार्जित छुट्टी के कुछेक आवेदनों में समक्ष नियंत्री प्राधिकार की अनुशंसा अंकित नहीं रहती है। फलस्वरूप, संबंधित विभाग/नियंत्री प्राधिकार के संज्ञान में लाए बिना समर्पित किए जाने वाले एल0टी0सी0 और उपार्जित छुट्टी के आवेदनों के अनुसार स्वीकृति विचारित होने पर संबंधित विभाग के कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

3. अतः, अनुरोध है कि छुट्टी और एल0टी0सी0 के आवेदनों को संबंधित विभाग/नियंत्री प्राधिकार के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाए और इस क्रम में अनुबद्ध परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाए।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,


सरकार के सचिव